5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये

<u>न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर</u>

प्रकरण कमांक /2015 पुनरावलोकन

लल्लू पुत्र भूरे दीक्षित निवासी– ग्राम कदोहा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0––**आवेदक**

बनाम

श्रीमती कमला उर्फ कमलकुंवर बेवा छोटेलाल निवासिनी– ग्राम बिजावर तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0 –––अनावेदिका

<u>पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 10/12/2015 पारित द्वारा श्री आशीष श्रीवास्तव सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2893–तीन/14 निगरानी व उनवान लल्लू बनाम श्रीमती कमला उर्फ कमलकुंवर ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन–पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, माननीय इस न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में सहवन कुछ ऐसी भूले हुई है जो अभिलेख से दर्शित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Review 4092-II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–2–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित । उनके द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता के तर्क पर विचार किया । यह रिव्यु प्रकरण कमांक 4092–दो/2015 आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2893–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलौच्य आदेश का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 2893–तीन/14 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10–12–15 एवं सुसंगत दस्तावेजों के परिशीलन से मैं निम्न विचार योग्य बाते पाता हूँ:– (क) तहसीलदार द्वारा अनावेदिका के पक्ष में किए गए नामांतरण के विरूद्ध अपील अभी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है, और आवेदक को वहॉ अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध है । (ख) अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश के संबंध में इस बात को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता कि उनके (अनुविभागीय अधिकारी के) द्वारा आक्षेपित आदेश की कार्यवाही राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 1565/तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 23–5–14 के पालन में की जा रही थी । राजस्व मण्डल का वह प्रकरण भी अनुविभागीय अधिकारी के इसी	

अपीलीय प्रकरण क्रमांक 96/12–13/अपील के एक अन्य आदेश दिनांक 19–5–14 के विरूद्ध विचारित होकर खारिज हुआ था । अतः, राजस्व मण्डल के दोनों प्रकरणों (1565–तीन/14 एवं निग0 2893–तीन/14) के माध्यम से आवेदक लल्लू ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय की अपीलीय कार्यवाही बाधित कराई, जबकि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में भी अपील लल्लू ने ही दायर की थी । राजस्व मण्डल की निगरानी प्रकरण क्रमांक 2693–तीन/14 में आक्षेपित आदेश दिनांक 28–8–14 से अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण अपीलार्थी यानि लल्लू के साक्ष्य के लिए नियत किया था । स्पष्ट है कि लल्लू ने वहॉ (अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में) पक्ष समर्थन के इस अवसर का लाभ उठा कर अनुविभागीय अधिकारी को इस बात का समाधान कराना बेहतर नहीं समझा कि नामांतरण अनावेदिका के पक्ष में ना होकर उनके पक्ष में ही क्यों हो, जिस बिन्दु को लेकर वो अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील में गए थे । उन्होंने केवल स्थगन की वांछा पर अपना ध्यान केन्द्रित किया, प्रकरण के गुणदोष आधारित निराकरण पर नहीं, और बार–बार अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय की अपील के निराकरण में विलंब कारित कराने का प्रयास करते रहे, जिस बात को इस न्यायालय ने पहचाना है और अवांछनीय पाया है ।

(ग) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बिजावर, छतरपुर के व्यवहार वाद क्रमांक 22ए/14 में पारित आदेश दिनांक 14–12–15 एवं 27–11–14 की प्रतियां देकर इस रिव्यू प्रकरण में यह तर्क किया है कि माननीय व्यवहार न्यायालय की ओर से प्रकरण में स्थगन है, अतः रिव्यू स्वीकार किया जाए । उक्त आदेश दिनांक 14–12–15 के पृष्ठ 4

के अंतिम पैरा 14 में यह स्पष्टतः लिखा है कि प्रतिवादी कमांक–1 (कमला) संपूर्ण विवादित भूमि के 1/2 भाग का 1 वर्ष या आगामी आदेश तक के लिये किसी अन्य व्यक्ति को कोई विक्रय या किसी अन्य तरह से अन्तरण नहीं करेगा । आदेश दिनांक 27–11–14 की प्रति का यह अंश अपठनीय है, किन्तु आवेदक अधिवक्ता के कहने पर उसमें भी ऐसा ही लिखा होना माना जा रहा है ।

अधिवक्ता का तर्क है कि इन स्थगनादेशों के प्रकाश में राजस्व मण्डल को विषयांकित आदेश दिनांक 10–12–15 नहीं पारित करना चाहिए था ।

इस संबंध में, समस्त अभिलेखों के परिशीलन और विचार उपरान्त, सह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश की रोक विक्रय अथवा अन्य प्रकार से संबंधित भूमि के अनावेदिका द्वारा अन्तरण पर है । यह रोक नामांतरण या राजस्व न्यायालयों में उसके विरूद्ध की अपील से संबंधित कार्यवाहियों पर नहीं है।

3/ उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के प्रकाश में (एक) चूंकि माननीय व्यवहार न्यायालय की रोक संबंधित भूमि के विक्रय/अन्तरण पर रोक है, उसके नामांतरण या नामातंरण के विरूद्ध की अपीलीय कार्यवाही पर नहीं, (दो) चूंकि नामांतरण के विरूद्ध जो अपील आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की वह अभी विचाराधीन ही है और वहॉ आवेदक को ही साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत होने से संबंधित अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक ने राजस्व मण्डल में प्रकरण कमांक 2893–तीन/14 की निगरानी दायर कर अपील के न्यायपूर्ण निराकरण में विलंब कारित कर दिया था, और (तीन) चूंकि राजस्व मण्डल में प्रकरण कमांक 2893–तीन/14 अनुविभागीय अधिकारी के जिस आदेश के विरूद्ध दायर हुआ था, उसमें केवल आवेदक

का स्थगनावेदन अस्वीकार कर प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियत किया गया था, जिससे एक ओर अपीलार्थी के हित प्रभावित नहीं हुए और दूसरी ओर उसे उसी के द्वारा दायर अपील में साक्ष्य का अवसर दिया गया, जिसका उसने उपयोग नहीं कर राजस्व मण्डल में निगरानी दायर कर, राजस्व मण्डल का पूर्व आदेश दिनांक 23–5–14 इसी अपील के 3 माह में निराकरण बाबत होनें के बावजूद, अपीलीय प्रकरण में विलंब कारित किया,... अतः यह रिव्यू आवेदन पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण अस्वीकार एवं अग्राह्य किया जाता है ।

आदेश पारित ।
पक्षकार सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

10.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य